न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी - सुश्री प्रियंका तलानिया आर.ए.एस.

अनवान -

1. भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 9 ए.पी.डी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

.....प्रार्थी.....

बनाम

1. सरजीत सिंह पुत्र श्री बहाल सिंह जाति जटसिख निवासी 9 ए.पी.डी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
2. प्रकाश सिंह पुत्र श्री सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 9 ए.पी.डी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
3. हरफूल सिंह पुत्र श्री सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 9 ए.पी.डी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़।

.....अप्रार्थीगण.....

उपस्थिति - 1. श्री नवीन मिढ्ढा, सुखदेव सिंह बुट्टर वकील प्रार्थी
2. श्री प्रेम सिंह सैनी वकील अप्रार्थीगण
3. पैराकार राज तहसीलदार श्री विजयनगर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

प्रकरण संख्या - 220/2015 निर्णय दिनांक - 30.10.19

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

प्रार्थी के द्वारा उपरोक्त अनवान का एक वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया है। उपरोक्त वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि प्रार्थी के दादा बहाल सिंह के नाम से वाके चक 9 ए.पी.डी. व 11 ए.पी.डी. तहसील श्री विजयनगर में कृषि भूमि खातेदारी थी। बहाल सिंह के तीन पुत्र वीर सिंह, सरजीत सिंह व अजायब सिंह है। बहाल सिंह व उसके तीनों पुत्र संयुक्त हिन्दू परिवार धारण करते थे एवं वीर सिंह व अजायब सिंह के संयुक्त परिवार सहदायिकी से पृथक होने के बाद बहाल सिंह व सरजीत सिंह को वाके चक 9 ए.पी.डी. तहसील श्री विजयनगर के मुरब्बा नं. 31 पत्थर नं. 247/394 के किला नं. 13 ता 15 सालम, 19/2 की 0.164 है. व 20 सालम = 4.212 है. भूमि बंटवारा में आई। इसके उपरान्त बहाल सिंह व सरजीत सिंह ने बहाल सिंह की उक्त 4.212 है. कृषि भूमि को संयुक्त रूप से काश्त किया और बहाल सिंह की जमीन से आमदनी अर्जित की। जिस आमदनी से इस बहाल सिंह व सरजीत सिंह के संयुक्त परिवार ने वाके चक 12 ए.पी.डी. तहसील अनूपगढ़ के

लगातार.....2

प्रियंका तलानिया (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

मुरब्बा नं. 2 के पत्थर नं. 252/390 ,के किला नं. 3 ता 8 सालम, 13 की 0.127 है., 14 ता 17 सालम, 24 की 0.227 है. व 25 की 0.227 है. = 3.111 है. एवं मुरब्बा नं. 3 पत्थर नं. 252/391 के किला नं. 1 व 2 सालम, 3 की 10 बिस्वा, 8 की 10 बिस्वा, 9 ता 12 सालम, 13 की 10 बिस्वा, 18 की 10 बिस्वा, 19 ता 22 सालम, 23 की 10 बिस्वा = 3.163 है. कुल 6.274 है. कृषि भूमि जरिये इकरारनामा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से खरीद की थी। इसके बाद वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के बालिग होने पर बहाल सिंह, प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 पांचों ने उक्त दोनों रकबों पर संयुक्त रूप से काश्त की और इससे आय अर्जित की। इस अर्जित आय से बहाल सिंह, प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 द्वारा खरीद शुदा भूमि के आवंटी काश्तकार हुकम सिंह की बकाया किश्ते खजाना राज जमा करवाई गई तथा इसी आय से संयुक्त परिवार ने धारा 13 ए. उपनिवेशन अधिनियम के तहत इकरारनामाकी नियमन राशि जमा करवाकर खरीदशुदा रकबा को बहाल करवाया। बहाली के इन्तकाल की कार्यवाही जैरकार है। इस प्रकार चक 12 ए.पी.डी. का रकबा संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पति की आय से अर्जित सम्पति होने के कारण चक 9 ए.पी.डी. व 12 ए.पी.डी. के दोनों रकबे संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पति है और पैतृक सम्पति होने के कारण इन दोनों रकबों में प्रार्थी का जन्मतः हक बनता है। बहाल सिंह की करीब 6 वर्ष पूर्व मृत्यु होने के पश्चात् उक्त दोनों रकबो में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा हक बनता है तथा इसी हक को अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 द्वारा अपना मानते हुए दिनांक 30/08/2007 को प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के दरम्यान संयुक्त हिन्दू परिवार का बंटवारा हो गया और अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 द्वारा प्रार्थी का 1/4 हिस्सा मानते हुए प्रार्थी को चक 9 ए.पी.डी. के रकबा के किला नं. 11 की 3 बिस्वा जिस पर प्रार्थी का मकान बना हुआ है तथा किला नं. 12 ता 15 की 4 बीघा 3 बिस्वा भूमि व चक 12 ए.पी.डी. के रकबा मुरब्बा नं. 2 में किला नं. 16, 24 की 18 बिस्वा, 25 की 18 बिस्वा = 2 बीघा 16 बिस्वा व मुरब्बा नं. 3 के किला नं. 1, 2, 10 की 3 बीघा भूमि बांट में दी गई तथा चक 9 ए.पी.डी. के रकबा के मकान में रिहायश व काश्त के लिए प्रार्थी का आवश्यकताजनित सुखाधिकार मानते हुए चक 9 ए.पी.डी. के रकबा के किला नं. 20 में आवा-जावी हेतु खातेदारी भूमि में 2 बिस्वा प्राईवेट रास्ता दिया गया। इस प्रकार प्रार्थी बंटवारा मुताबिक अपनी 10 बीघा 1 बिस्वा भूमि पर एकल व स्वतन्त्र रूप से काबिज होकर काश्त कर उक्त रास्ता का निजी सुखाधिकार के रूप में बंटवारा रोज से निरन्तर आज रोज तक शान्ति पूर्वक उपयोग-उपभोग कर रहा है। दिनांक 20/05/2008 को अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने प्रार्थी को धमकी दी कि वे बंटवारा को नहीं मानते और जमीन सरजीत सिंह के नाम है इसलिए प्रार्थी को जबरदस्ती मकान व कृषि भूमि से बेदखल करेंगे और नाजायज कब्जा कर लेंगे। प्रार्थी ने इस तारीख को अप्रार्थीगण से पृथक रूप से इन्तकाल दर्ज करवाने व वादी के रिकायशी मकान, कृषि भूमि, फसल व रास्ता में हस्तक्षेप न करने बाबत निवेदन किया तो अप्रार्थीगण बुकाम 9 ए.पी.डी. में स्पष्ट रूप से इन्कार हो गये। यही तारीख पैदा होने बिनाए दावा बिनाए मुखास्मत है। प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवा बंटवारा करवाने व रिकॉर्ड में अमलदरामद करवाने तथा मकान, रास्ता व फसल व कृषि भूमि में अप्रार्थीगण हस्तक्षेप न करें इसलिए स्थायी व्यादेश प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है। यदि ऐसा नहीं

लगातार..........3

न्यायालय उपखण्डाधिकारी श्री विजयनगर

20/10

प्रियंका तलानिया (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

किया जाता है तो प्रार्थी के विधिक अधिकारों का हनन होगा व अपूर्णीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है एवं ता फैसला वाद प्रार्थी अस्थाई व्यादेश भी प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है। यदि प्रार्थी को अस्थाई व्यादेश जारी नहीं किया जाता है तो विधिक अधिकारों का हनन होगा व अपूर्णीय क्षति होगी।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय का अस्थाई व्यादेश जारी किया जावे कि अप्रार्थीगण ता फैसला वाद रिकॉर्ड एवं मौका की स्थिति यथावत् रखते हुए वाके चक 9 ए.पी.डी. तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 31 के प.नं. 247/394 के किला नं. 11 के मकान स्थित 3 बिस्वा व 12 ता 15 सालम कुल 4 बीघा 3 बिस्वा व इस मुरब्बा के किला नं. 20 में प्रार्थी के उपयोग उपभोग के रास्ता 2 बिस्वा एवं वाके चक 12 ए.पी.डी. तहसील अनूपगढ़ के मु.नं. 2 प.नं. 252/390 के किला नं. 16 सालम, 24 की 18 बिस्वा, व 25 की 18 बिस्वा कुल 2 बीघा 16 बिस्वा व मु.नं. 3 प.नं. 252/391 के किला नं. 1, 2 व 10 सालम कुल 3 बीघा इस प्रकार कुल 10 बीघा 1 बिस्वा भूमि पर रिकॉर्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखते हुए प्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल करने एवं नाजायज कब्जा करने से बाज एवं ममनू रहे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपना जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के तथ्यों से अपनी सहमति प्रकट करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई एतराज नहीं होना जाहिर किया। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 ने अपना जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा तमाम तथ्य बिना कोई आधार वा ठोस सुसंगत साक्ष्य बिना दर्ज किये गये है, समस्त परिवार वंशावली भी दर्ज नहीं की गई है। चक 9 ए.पी.डी. तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 31 प.नं. 247/394 में 4.212 है. भूमि अप्रार्थी संख्या 1 सरजीत सिंह की खातेदारी सम्पति है, जिसको अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं अकेले द्वारा ही शुरू से ही काश्त किया जा रहा है वा उक्त सम्पति बंटवारा घरेलू में अप्रार्थी संख्या 1 अकेले को ही प्राप्त हुई है, यह जमीन शुरू से ही बहुत बंजर थी। जिसमें कोई फसलात आदि नहीं होती थी, जिसको प्रार्थी ने काफी संवारा एवं सुधारना शुरू किया इसमें कोई फसल आदि नहीं होने पर अप्रार्थी संख्या 1 ने चक 12 ए.पी.डी. तहसील अनूपगढ़ का मु.नं. 252/390 वा मु.नं. 252/391 में कुल 25-00 बीघा भूमि खरीदी जो जरिये इकरारनामा खरीद की वा खरीद के रोज से उक्त 25-00 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जा काश्त में चली आ रही है। तथा इस जमीन की आमदनी से ही अप्रार्थी संख्या 1 को घरेलु बंटवारा में प्राप्त 4.212 है. भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 ने संवारा सुधारा वा इसमें काफी धन खर्च किया। इसलिए उक्त सम्पति संयुक्त हिन्दू परिवार की संयुक्त सम्पति नहीं है उपरोक्त तमाम सम्पति अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जा काश्त में शुरू से ही चल आ रही है वा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा खरीद शुदा भूमि के नियमन बाबत माननीय अतिरिक्त कलेक्टर सूरतगढ़ में धारा 13 ए उपनिवेशन अधिनियम के तहत कार्यवाही होने पर उपरोक्त रकबा को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ही बहाल करवाया गया है वा इकरारनामा के आधार पर किये गये बेचान को धारा 13 ए (1-क) के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में नियमन किया गया वा अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा ही

लगातार...........4

न्यायालय उपखण्डाधिकारी श्री विजयनगर

Priyanka 30/10
प्रियंका तलानिया (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

उपरोक्त नियमन फीस व ब्याज राशि राजकीय कोष में जमा करवाई गयी थी इसलिए उपरोक्त रकबा में प्रार्थी का किसी भी प्रकार से कोई हक एवं हिस्सा नहीं बनता है वा ना ही यह सम्पति संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पति की परिभाषा में आती है। बहाल सिंह की मृत्यु होना स्वीकार है। भूमि का प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के मध्य कोई बंटवारा नहीं हुआ है। व ना ही प्रार्थी को 10 बीघा 1 बिस्वा भूमि व हाणी दी गई व ना ही इस भूमि पर प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है बल्कि प्रार्थी अनूपगढ़ में रह रहा है वा प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 ने उसकी शादी ब्याह आदि कर वा अपने नाम की कृषि भूमि पर ऋण उठाकर उसको देकर उसका हक व हिस्सा पूरा कर अलग कर दिया गया है वा प्रार्थी परिवार से अलग होकर अनूपगढ़ में रहने लगा। लेकिन इसके पश्चात् प्रार्थी द्वारा मुझ अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि हड़पने का प्रयास करने वा ऐस अवैधानिक कार्यवाही कर भूमि अपने नाम से दर्ज करवाने या बेचान करने की धमकी दिये जाने पर अप्रार्थी संख्या 1 ने अदालत हाजा में अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतु एक वाद पत्र 188 आर.टी.एक्ट पेश किया जो भी इस पत्रावली के साथ संलग्न फरमाया गया है। इस प्रकार प्रार्थी नेक नियती व साफ हाथो से न्यायालय में नहीं आया है। प्रार्थी को कोई बिनाए दावा एवं मुखास्मत दावा हासिल नहीं है। प्रार्थी वादग्रस्त सम्पदा बाबत अपने हक व अधिकारों की घोषणा करवा पाने का अधिकारी नहीं है व ना ही बंटवारा करवाने वा स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है, चूंकि वादग्रस्त सम्पदा पैतृक सम्पति वा संयुक्त हिन्दू खानदान की संयुक्त सम्पति की परिभाषा में नहीं आती है। जब वादग्रस्त सम्पदा में प्रार्थी वादी का किसी प्रकार का कोई हक एवं अधिकार बनता नहीं है वा ना ही उसका कब्जा काश्त है तो उसको किसी भी प्रकार की कोई क्षति होने की सम्भावना नहीं है वा ना ही उसके किसी विधिक अधिकारों का हनन हो रहा है इसके विपरीत किसी प्रकार का कोई व्यादेश पारित होने से मुझ अप्रार्थी संख्या 1 के ही अधिकारों का हनन होगा वा अपार क्षति होगी उपरोक्त प्रकार प्रार्थी का वाद प्रथम दृष्टया साबित नहीं होता है। वादग्रस्त सम्पदा के किसी भी भाग की भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त कभी नहीं रहा है। वादी प्रार्थी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-53 आर.टी.एक्ट में पेश किया है जो भूमि खातेदार ही पेश कर सकता है, प्रार्थी न तो भूमि वादग्रस्त का खातेदार है व ना ही सह खातेदार है वा ना ही भूमि पर वह काबिज है इसलिए वाद पत्र व प्रार्थना पत्र काबिल चलने के नहीं है। वादग्रस्त सम्पदा चक 12 ए.पी.डी. अभी हुक्म सिंह पुत्र पठाना सिंह मूल विक्रेता के नाम से दर्ज है वा रकबा गैर खातेदारी दर्ज है वा नियमन भी सशर्त हुआ है भूमि की खातेदारी सनद व बैयनामा नहीं हुआ है इसलिए वादी/ प्रार्थी का वाद पत्र प्रीमैच्योर होने के कारण चलने काबिल नहीं है वा काबिल खारिजी के है। चक 9 ए.पी.डी. तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 31 प.नं. 247/397 की 4.212 है. भूमि बैंक एस.के.जी.बी. ,शाखा सुखचैनपुरा में रहन है जिसका काफी ऋण बकाया है वा इसके अलावा अप्रार्थी संख्या 1 के अन्य दूसरे पुत्र अभी तक अविवाहित है, प्रार्थी वादी ने वाद पत्र व प्रार्थना पत्र में बैंक को पक्षकार नहीं बनाया है गया है जो भी इस वाद में आवश्यक पक्षकार है इसलिए दावा प्रार्थना पत्र चलने काबिल नहीं है। आदि का प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। अप्रार्थी पैरोकार राज की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर

प्रियंका गोस्वामी (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

लगातार..........5

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो एवं कानूनी प्रावधानों पर मनन किया गया और निष्कर्ष रूप में यह पाया कि विवादित भूमि वाके चक 9 ए.पी.डी. तहसील श्री विजयनगर के मुरब्बा नं. 31 पत्थर नं. 247/394 के किला नं. 13 ता 15 सालम, 19/2 की 0.164 है. व 20 सालम = 4.212 है. भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को अपने पिता से प्राप्त हुई है एवं चक 12 ए.पी.डी. तहसील अनूपगढ़ के मुरब्बा नं. 2 के पत्थर नं. 252/390 के किला नं. 3 ता 8 सालम, 13 की 0.127 है., 14 ता 17 सालम, 24 की 0.227 है. व 25 की 0.227 है. = 3.111 है. एवं मुरब्बा नं. 3 पत्थर नं. 252/391 के किला नं. 1 व 2 सालम, 3 की 10 बिस्वा, 8 की 10 बिस्वा, 9 ता 12 सालम, 13 की 10 बिस्वा, 18 की 10 बिस्वा, 19 ता 22 सालम, 23 की 10 बिस्वा = 3.163 है. कुल 6.274 है. कृषि भूमि जरिये इकरारनामा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा खरीद की गई है। प्रार्थी जो कि अप्रार्थी संख्या 1 का पुत्र है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 उक्त विवादित भूमि को आगे रहन, बेचान कर देता है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होगी। इसलिए प्रार्थी को न पूरा होने वाला नुकसान होगा। अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है। एवं प्रथम दृष्टया प्रकरण भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वह चक 9 ए.पी.डी. तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 31 के प.नं. 247/394 के किला नं. 11 के मकान स्थित 3 बिस्वा व किला नं. 12 ता 15 सालम, कुल 4.03 बीघा व इस मुरब्बा के किला नं. 20 में प्रार्थी के उपयोग उपभोग के रास्ता 2 बिस्वा के रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30.10.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/10/19

(प्रियंका तलानिया)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

प्रियंका तलानिया (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2019.11.25 14:29:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: